भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2702
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसान कल्याण संबंधी पहल

2702. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कौशल विकास और बाजार संपर्क के लिए किसानों तथा कृषि-उद्योगों के बीच सहयोग शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम हासिल हुए हैं;

(ख) क्या मृदा क्षरण और घटती उर्वरता छोटे भू-धारकों में फसल उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अध्ययन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया है और यदि हां, तो इस संबंध में कवरेज और प्रभाव आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम पैटर्न छोटे किसानों को हो रही चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या शमन उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सटीक खेती और सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज के लिए किसानों और एग्री-इंडस्ट्रीज़ के बीच सहयोग की शुरुआत की है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(i) देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 734 ज़िलों में केंद्र प्रायोजित योजना "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" (आत्मा) लागू की जा रही है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करना और किसानों को खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों के अलग-अलग विषयों में नई कृषि तकनीकों और अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। यह काम अलग-अलग एक्सटेंशन गतिविधियों जैसे कि किसानों की ट्रेनिंग, प्रदर्शन, एक्सपोज़र विज़िट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फ़ार्म स्कूल आयोजित करना आदि के ज़रिए किया जाता है। आत्मा कैफ़ेटेरिया के तहत स्किल ट्रेनिंग भी एक घटक है। आत्मा के तहत डीए एंड एफडब्ल्यू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए 2025-26 के दौरान कुल 17,366 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है।

(ii) एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एएससीआई) ने 'सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फ़ॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया' (सीईएएसआई) के ज़रिए कई एग्री-इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर किसानों, मज़दूरों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सीएसआर और इंडस्ट्री-फंडेड पहल शुरू की हैं। इस ट्रेनिंग में एफपीओ का कामकाज, खेती में मशीनों का इस्तेमाल, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिज़नेस प्लानिंग, कीमत के जोखिम का मैनेजमेंट और बाज़ार से जुड़ाव जैसी चीज़ें शामिल हैं। इससे एफपीओ की संस्थागत क्षमता मज़बूत होती है और बाज़ार में काम करने के लिए उनकी तैयारी बेहतर होती है। इन क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का मकसद बिज़नेस प्लानिंग, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, कीमत के जोखिम का मैनेजमेंट और बाज़ार-उन्मुख तौर-तरीकों पर इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देकर किसानों, एफपीओ और ग्रामीण युवाओं की क्षमता को मज़बूत करना है।

(ख) एवं (ग): बीज, खेती के तरीके, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आदि कई कारणों से फसल की पैदावार कम हो जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन चुनौतियों से निपटने के लिए मृदा परिक्षण के आधार पर संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा परिक्षण और फसल की प्रतिक्रिया (एसटीसीआर) के आधार पर जिले के लिए सामान्य उर्वरक सिफारिशें, संरक्षण खेती, जैविक संसाधनों का पुनर्चक्रण, जैव-उर्वरक और खराब हो चुकी भूमि को ठीक करने जैसे उपाय करता है। ये तकनीकें मिट्टी की सेहत सुधारती हैं, पोषक तत्वों के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाती हैं और फसल की पैदावार बनाए रखती हैं। 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना (आत्मा) के तहत किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सरकार 'सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी' योजना के ज़रिए खाद के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। यह योजना वर्ष 2014-15 से लागू है, इसका मकसद सभी खेतों के लिए 'सॉइल हेल्थ कार्ड' (एसएचसी) देना और उत्पादकता व मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मिट्टी के नमूनों की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है और पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन) जैसे पैमानों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। किसानों के खेतों की मिट्टी की सेहत की जांच समय-समय पर की जाती है ताकि कम से कम हर 3 साल में एक बार एसएचसी जारी किया जा सके।

वर्ष 2014-15 से अब तक पूरे देश में 26.10 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए और बांटे गए हैं। देश भर में कुल 8313 सॉइल टेस्टिंग लैब (1267 स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब, 168 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब, 6197 मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब और 681 विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब) स्थापित की गई हैं। राज्य की सॉइल लैब के अलावा, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के तहत देश में 1020 स्कूल मिनी सॉइल लैब भी स्थापित की गई हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के आधार पर देश भर में 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन और 7,425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं। इस योजना के तहत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रमोशन और वितरण के अंतर्गत 13,51,166 हेक्टेयर क्षेत्र को भी कवर किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) (पूर्व में एनएफएसएम) केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि टिकाऊ फ़सल और पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देकर मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से बचाने में भी मदद करता है। यह मिशन साफ़ तौर पर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, भूमि संसाधनों के संरक्षण और खेती के बेहतर तरीकों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को रासायनिक मुक्त एवं प्रकृति-आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर, 2024 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य कृत्रिम उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना तथा मृदा क्षरण को रोकना और उसकी गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करना है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) भारत सरकार की एक योजना है, जिसे वर्ष 2015 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) का एक घटक थी तथा वर्तमान में इसका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा रासायनिक आदानों पर निर्भरता को कम करना है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली द्वारा भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) के शीघ्र वितरण हेतु मृदा परीक्षण अवसंरचना विषय पर 19 राज्यों के 76 जिलों में एक अध्ययन किया गया, जिसमें 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 1,700 किसानों को शामिल किया गया। एसएचजी की सिफारिशों के अनुसार खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल से रासायनिक खाद के इस्तेमाल में 8-10% की कमी देखी गई। एसएचजी के अनुसार खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में कुल मिलाकर 5-6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना का प्रभाव अध्ययन किया गया। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62.8 प्रतिशत किसान एसएचसी में दी गई सलाह के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरकों के कम उपयोग के कारण प्रति एकड़ खेती की लागत में 4 से 10 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। अधिकांश फसलों की उत्पादकता में भी, यद्यपि मध्यम स्तर पर, वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर, धान की खेती करने वाले किसानों द्वारा यूरिया के उपयोग में लगभग 9 प्रतिशत तथा डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)/सिंगल सुपर फॉस्फेट के उपयोग में लगभग 7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। विशेष रूप से धान एवं कपास की खेती में यूरिया और डीएपी के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आने से प्रति एरिया क्षेत्र खेती की लागत में भी कमी आई।

(घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा 'नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर' (एनआईसीआरए) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन, भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की जिला-स्तरीय जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन तथा जलवायु परिवर्तन के भावी परिदृश्यों का अनुमान लगाने के लिए समेकित अनुकरण मॉडलिंग अध्ययन किए जाते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार कृषि प्रधान 651 जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की जिला-स्तरीय जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन किया गया। इस आकलन के आधार पर 310 जिलों को संवेदनशील पाया गया, जिनमें से 109 जिलों को 'अत्यधिक उच्च संवेदनशील' तथा 201 जिलों को 'उच्च संवेदनशील' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। मौसम में होने वाले बदलावों से निपटने और खास जगहों के हिसाब से जलवायु-अनुकूल फसलों, उनकी किस्मों और खेती के तरीकों की सिफारिश करने के लिए इन 651 जिलों के लिए 'जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं' (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति कृषि की सहनशीलता बढ़ाने के लिए धान गहनता प्रणाली (एसआरआई), एरोबिक धान, प्रत्यक्ष बुवाई धान (डायरेक्ट-सीडेड राइस), जीरो जुताई गेहूँ, जलवायु-अनुकूल फसल किस्में तथा खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन जैसी स्थान-विशिष्ट जलवायु-सहनशील प्रौद्योगिकियों का किसानों के बीच प्रदर्शन कर उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनआईसीआरए के अंतर्गत 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संवेदनशील जिलों में स्थित 448 जलवायु-अनुकूल गांवों में इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही, किसानों की जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने तथा गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय बीज बैंक एवं सामुदायिक पौधशालाओं की भी व्यवस्था की गई है।

जलवायु परिवर्तन तथा मौसम के अनिश्चित एवं असामान्य स्वरूप का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र की जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)' के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार; 'वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)' के अंतर्गत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा; 'परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)' के अंतर्गत जैविक खेती; 'राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)' के अंतर्गत प्राकृतिक खेती; 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन', 'राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)' तथा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)' के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन; 'बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (एमआईडीएच)' के अंतर्गत बागवानी विकास; तथा कृषि वानिकी के माध्यम से कृषि भूमि की पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने जैसे उपाय शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देशभर में कृषि संबंधी जोखिमों के पूर्वानुमान तथा समय पर फसल प्रबंधन संबंधी हस्तक्षेपों को समर्थन प्रदान करने के लिए उपग्रह-आधारित निगरानी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणात्मक प्रणालियों का उपयोग कर रहा है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), जो उपग्रह, मौसम, मृदा, फसल की विशेषताओं, जलाशयों तथा भू-जल संबंधी आँकड़ों सहित जियोस्पेशियल और नॉन-जियोस्पेशियल डेटा का एकीकरण एवं मानकीकरण करती है, जो सूखा, प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं तथा बाढ़ से जलमग्न क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम है। यह प्रणाली लगभग वास्तविक समय में जोखिम संबंधी चेतावनियाँ उपलब्ध कराती है तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फसल प्रबंधन संबंधी समयोचित हस्तक्षेपों को समर्थन प्रदान करती है, जिससे फसल हानि के जोखिम को कम किया जा सके।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) खेती से जुड़े सही फ़ैसले लेने में मदद के लिए पूरे देश में एआई-आधारित मॉनसून और मौसम से जुड़ी सलाह देता है। ये सलाह किसानों को समय पर और स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर कृषि कार्यों की प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाते हैं।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज-आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तथा मौसम सूचकांक-आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) लागू की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के कारण फसल की हानि/क्षति की स्थिति में फसल बीमा का विकल्प चुनने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके तथा उनकी आय को स्थिर बनाए रखा जा सके। इन योजनाओं के अंतर्गत बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात होने वाली हानियों तक के लिए व्यापक जोखिम बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, खरीफ 2023 से सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (यस-टेक) लागू की है, जिसमें सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करके पैदावार का अनुमान लगाया जाता है।

(ङ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के तहत तय नियमों के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता दी जाती है। सरकार पीडीएमसी के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से आर्थिक सहायता देती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु यह वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित है।

हॉर्टिकल्चर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिशन (एमआईडीएच) के तहत, सरकार बागवानी में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। इन तकनीकों में प्रिसिजन फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और पानी के कुशल प्रबंधन के तरीके शामिल हैं। इस स्कीम के तहत, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर जैसे पॉली हाउस, शेड-नेट हाउस और प्लास्टिक टनल बनाने के लिए मदद मिलती है। ये संरचनाएँ नियंत्रित वातावरण में खेती करके प्रिसिजन कल्टीवेशन को आसान बनाते हैं। इन ढांचों के लिए आम तौर पर 50% वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एमआईडीएच दिशा-निर्देशों के तहत तय नियमों और सीमाओं के अधीन होती है। योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार, संरक्षित खेती में अतिरिक्त घटकों के लिए भी सहायता दी जाती है। इनमें हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, सर्कुलेशन फ़ैन (पॉलीहाउस में), फ़र्टिगेशन के लिए सेंसर-आधारित ऑटोमेशन सिस्टम और सब्ज़ियों की फ़सलों के लिए सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। यह योजना हाई-टेक नर्सरी स्थापित करने में भी मदद करती है।
